न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 39 / 2025 GCMS No.—2025/66

भगवती देवी उर्फ सौभाग्यवती पत्नि श्री भूपेन्द्र सिंह, जाति जाट उम्र करीब 78 वर्ष निवासी हरध्यानपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल निवासी चौधरी बस्ती वार्ड नंबर 18 चिडावा, जिला झुन्झुनू, राजस्थान जरिये मुख्तयारनाम अनिल कुमार पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह उम्र करीब 54 वर्ष निवासी हरध्यानपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान।

...अपीलांटस

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र गुल्लाराम जाति बलाई, निवासी हनुमान टावर, गणगौरी बाजार, जयपुर।
2. चौथी देवी पत्नि श्री लालाराम जाति रैगर, निवासी चतरपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. नाथी देवी पत्नि श्री हनुमान सहाय, जाति रैगर, निवासी चतरपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. मनभरी देवी पत्नि श्री मोहनलाल जाति रैगर, निवासी चतरपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. शान्ति देवी पत्नि श्री कैलाश चन्द जाति रैगर निवासी चतरपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. संजय पुत्र श्री स्वरूप सिंह जाति जाट निवासी गहली, पोस्ट हमिदपुर, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ, हरियाणा।
7. धर्मसिंह पुत्र श्री अमरसिंह जाति जाट निवासी गहली, पोस्ट हमिदपुर, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ, हरियाणा।
8. तहसीलदार तहसील बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 377 आदेश दिनांक 31.01.2013 न्यायालय तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर द्वारा खसरा नंबर 117 रकबा 28.07 हैक्टेयर में अपीलांट को बिना सुने ही किये गये सहमति बंटवारा को निरस्त करने बाबत।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट)

उपस्थितः–

1. श्री अशोक कुमार सोनी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री लालचन्द जाट, मुकेश शेरावत अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 6 ओर से।
3. श्री राजेश कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 7 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 28.08.2025

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार बस्सी के निर्णय 31.01.2013 जिससे नामान्तरकरण संख्या 377 वाके ग्राम हरध्यानपुरा, तहसील बस्सी जो सहमति के तकासमा आदेश के आधार पर तस्दीक किया गया है जिससे असंतुष्ट होकर अपील दिनांक 17.04.2025 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये किन्तु रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 की ओर से कोई उपस्थित नही आया। रेस्पा0 संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री लालचन्द जाट उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 7 की ओर अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शर्मा उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 8 की ओर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। वकील उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा तहसीलदार बस्सी द्वारा आदेश दिनांक तस्दीक नामान्तकरण संख्या 377 के बाबत न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी है उक्त नामान्तकरण सहमति के तकासमें के आधार पर तस्दीक किया गया है जबकि अपीलांट द्वारा बिना कोई मौखिक व लिखित सहमति प्रदान नहीं की गयी और रिकॉर्ड पर भी आपसी सहमति मौजूद नहीं है। ग्राम हरध्यानपुरा तहसील बस्सी स्थित आराजीयात खाता संख्या 68 पुराना खाता संख्या 63 में अपीलांट का हिस्सा 1/3 रहा है। अपीलांट एवं विपक्षीगण के उक्त खसरा नंबर 117 का मिट्स एण्ड बाउट्स पर किसी भी न्यायालय द्वारा विभाजन नहीं किया गया है। नामान्तकरण संख्या 377 के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तकरण बिना किसी आदेश व दिनांक के राजस्व पटवारी, हल्का गिरदावार व तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया तथा मूल खसरा नंबर 117 के खसरा नंबर 117/1 अपीलांट के नाम तथा खसरा नंबर 117/2 रेस्पा0 संख्या 7 के नाम स्वीकार कर दिया गया। रेस्पा0 संख्या 7 द्वारा अपने हिस्से में से 2 बीघा भूमि बेची जाने पर विभाजन करवाकर विपक्षी संख्या 6 भी खसरा नंबर 117 का सहखातेदार बना गया जिसके वर्तमान में खसरा नंबर 204/117 बने है। जिस विभाजन आदेश के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है वह विभाजन आदेश अधीनस्थ न्यायालय में विद्यमान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने विपक्षीगण से सांठ–गांठ कर खसरा नंबर 117 का विभाजन कर दिया गया है। कार्यालय जिला कलक्टर जयपुर की जांच रिपोर्ट 30.06.2025 में भी तकासमा पत्रावली उपलब्ध नहीं होना बताया गया है साथ ही जांच रिपोर्ट में भी अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तकरण के संबंध में सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है। विपक्षीगण अपीलांट को उसके मौके पर कब्जे काश्त की भूमि में दखल करते हुए धमकी दी गयी जिसके पश्चात अपीलांट को न्यायालय आदेश की जानकारी प्राप्त हुयी है। अपीलांट का इस आदेश की जानकारी दिनांक 31.01.2025 को होने पर तुरन्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि व सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त कियें व अपील हेतु अधिवक्ता से संपर्क किया गया। दिनांक 02.04.2025 को अपीलांट के द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि आपके खसरा नंबर में न्यायालय आदेश की प्रविष्टी हुई है। अपीलांट को आदेश प्राप्त होने पर जानकारी होने के तुरन्त बाद अपील पेश की गयी है। अपील पेश करने में यह विलम्ब बिना सूचना और जानकारी के बिना हुई है इसमें अपीलांट का कोई दुर्भावानापूर्ण आशय नहीं रहा है। इसलिए माननीय न्यायालय से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 6 अपीलांट द्वारा मियाद के बिन्दु पर वर्णित तथ्य असत्य गलत, मनगढन्त व काल्पनिक है। अपीलांट द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष उपस्थित होकर बंटवारे की सहमति प्रदान की गयी थी। अपीलांट द्वारा सम्पूर्ण जानकारी होने के पश्चात तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2013 को 12 वर्ष 3 महीने बाद

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अपील प्रस्तुत की गयी है जबकि विभाजन प्रस्ताव के पश्चात तत्समय ही समस्त खातेदारान के खाते अलग अलग हो गये और सभी काश्तकार अपनी–अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अपीलांट द्वारा बदनियतिपूर्वक मियाद बाहर अपील पेश की गयी है। अपीलांट द्वारा स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 31.01.2013 को होने बाबत कथन किया गया है। अपीलाधीन भूमि के संबंध में सीमा ज्ञान की कार्यवाही में अपीलांट के पुत्र राजेश के दिनांक 25.10.2024 की सीमा ज्ञान रिपोर्ट पर हस्ताक्षर है जो अपीलांट के मुख्त्यारआम अनिल का सगा भाई है। विभाजन के पश्चात रेस्पा0 संख्या 7 द्वारा अपने हिस्से में आयी भूमि खसरा नंबर 117/2 में से 20/47 हिस्से का विक्रय रेस्पा0 संख्या 6 को दिनांक 19.01.2022 को कर दिया एवं उसके पश्चात पुनः सहमति का विभाजन हो गया है एवं खसरा नंबर 204/117, 203/117 बनाये गये है। इन सभी तथ्यो की जानकारी अपीलांट को शुरू से पूर्ण जानकारी रही है, अपीलांट द्वारा मियाद के बिन्दु पर गलत तथ्य पेश किय गये है इसलिए अपीलांट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता रेस्पा0 मियाद के बिन्दु पर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त **Supreme Court of India 2024 RBJ 396, 2017 (1)RRT 177 Raj. High court,** आदि पेश किये।

अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 7 द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गयी है। अपीलांट को विभाजन के बाद बने नये खसरा नंबर 117/1 की दिनांक 25.10.2024 को सीमा ज्ञान की कार्यवाही हुयी है सीमा ज्ञान रिपोर्ट पर अपीलांट के पुत्र के हस्ताक्षर है अर्थात अपीलांट के पुत्र को तकासमा आदेश की बखूबी जानकारी रही है। इसके अलावा रेस्पा0 संख्या 1 ने अपने हिस्से की भूमि में श्री जी सिटी के नाम से आवासीय कॉलोनी विकसित की है जिसमें अपीलांट के पुत्र ने अपने नाम से भी आवासीय भूखण्ड का पट्टा प्राप्त किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट एवं उनके पुत्रो को शुरू से अपीलाधीन तकासमा आदेश एवं नामान्तकरण की बखूबी जानकारी रही है। अपीलांट ने अपने सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में इतने दिन से अपील प्रस्तुत करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया इसलिए अपील मियाद बाहर प्रस्तुत होने एवं मियाद माफ के लिये कोई समुचित कारण दर्शित नहीं होने की वजह से उक्त अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमायी जानी न्यायहित में आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सहमति के तकासमा आदेश के आधार पर नियमानुसार स्वीकार किया गया है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अपीलाधीन नामान्तकरण की छायाप्रति अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 377 मुताबिक सहमति के बंटवारा के आधार पर तहसीलदार बस्सी द्वारा दिनांक 31.01.2013 को तस्दीक किया गया है। सहमति के बंटवारे के पश्चात अपीलांट को मूल खसरा नंबर 117 में खसरा नंबर 117/1, रेस्पा0 संख्या 7 को खसरा नंबर 117/2, रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 को खसरा नंबर 117 बनाये गये। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 में वर्णित तथ्यों अनुसार

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 31.01.2025 को हुयी है। किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट स्वयं द्वारा तहसीलदार बस्सी के समक्ष स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 117/1 वाके ग्राम हरध्यानपुरा, तह0 बस्सी के सीमाकंन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2024 को पेश किया गया है। जिसके पश्चात अपीलांट के आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2024 के क्रम में दिनांक 25.10.2024 अपीलांट की खातेदारी भूमि का सीमा ज्ञान किया गया तथा सीमा ज्ञान रिपोर्ट पर अपीलांट के पुत्र के हस्ताक्षर होने संबंधी दस्तावेज रेस्पा0 अधिवक्ता द्वारा पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से जाहिर है अपीलाधीन आदेश के पश्चात रेस्पा0 संख्या 7 के हिस्से में खसरा नंबर 117/2 की भूमि आयी एवं रेस्पा0 संख्या 7 द्वारा रेस्पा0 संख्या 6 को अपने हिस्से की भूमि का बेचान जरिये रजि0 विक्रय पत्र 19.01.2022 को किया गया एवं तहसीलदार बस्सी के द्वारा खसरा नंबर 117/2 की भूमि का सहमति का तकासमा आदेश भी दिनांक 17.10.2024 को पारित किया जा चुका है। खसरा नंबर 117/2 से नये खसरा नंबर 204/117, 203/117 बने है जो वर्तमान जमाबन्दी अनुसार क्रमशः रेस्पा0 संख्या 6 व 7 की खातेदारी में है। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खसरा नंबर 117/1 की भूमि की खातेदारी अपीलांट के नाम से है। **According to 2017 (1) RRT117 Rajasthan High court – Condonation of delay- Delay of 2344 days in filing appeal- In action or indolence on the part of the litigant-liberal approach cannot be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- No sufficient cause to explain the delay-Held, Application & appeal are liable to be dismissed.** न्याय की यह कभी मंशा नहीं रही है कि किसी भी पक्षकार को उसके जायज हितो से वंचित किया जावे, परन्तु जहां पक्षकार स्वयं अपने हितों के प्रति जागरूक नहीं हो वहां विधि की एक समय सीमा तक ही उसके अधिकारो की सुरक्षा कर सकती है। अपीलाधीन आदेश के उपरान्त विक्रय पत्र, तकासमा आदेश भी सम्पादित हो चुके है इसलिये इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अपीलांट को तकासमा आदेश की जानकारी नहीं रही है। अपीलांट द्वारा करीब 12 वर्ष बाद अपीलाधीन तकासमा आदेश को चुनौती दी गयी है एवं अपीलांट द्वारा मियाद के बिन्दु पर वर्णित तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर संतोषजनक एवं स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होते है।

अतः उपरोक्त वर्णित विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है एवं मियाद के बिन्दु पर ही अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनीता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर